परिशिष्ट -(अ)

संदर्भ– सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ ए 10–18/88/49/एक, दिनांक 2–12–88 ज्ञापन क्रमांक सी/3–18/94/3/एक, दिनांक 12–12–94 एवं ज्ञापन क्रमांक सी/3–7/95/3/एक, दिनांक 5 जून, 1995।

उपर्युक्त विषयक इस विभाग द्वारा समय–समय पर जारी संदर्भित आदेशों को निरसित करते हुए निम्नानुसार एकजायी आदेश जारी किये जाते हैं–

(एक) जब किसी एक विभाग को किसी दूसरे विभाग से शासकीय सेवक की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेना हो तो उसे संबंधित विभाग से कम से कम तीन अधिकारियों के नामों का पैनल, मय गोपनीय प्रतिवेदन मूल्यांकन पत्रक तथा विभागीय जांच आदि की जानकारी के मंगाना चाहिए।

(दो) संबंधित विभाग को चाहिए कि वह यदि अपने लोक सेवक की प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं देने को सहमत हो तो उक्त जानकारी यथाशीघ्र संबंधित विभाग को उपलब्ध कराएं।

(तीन) उक्त पैनल के आधार पर उपयुक्त लोक सेवक के चयन उपरान्त चयनित लोक सेवक की सेवाएं कम से कम दो वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर ली जाना चाहिए।

(चार) विभाग लोक सेवक की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर देने के लिए सहमत हो तो ही सेवाएं लेने वाले विभाग की सहमति पश्चात् एवं पैनल चयन होने पर संबंधित लोक सेवक की सेवाएं सौंपने हेतु औपचारिक आदेश जारी करना चाहिए। आदेश में यह स्पष्ट टीप अंकित करना चाहिए कि सेवाएं लेने वाले विभाग पदस्थापना के औपचारिक आदेश शीघ्र जारी करें। पदस्थापना आदेश जारी होने के पश्चात् ही शासकीय सेवक को पैतृक विभाग द्वारा जारी कार्यमुक्त किया जाये।

(पांच) यदि प्रतिनियुक्ति की अवधि के भीतर प्रतिनियुक्ति समाप्त की जाना हो तो दोनों विभाग का आपसी परामर्श से प्रतिनियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। परन्तु प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर सेवा लेने वाले विभाग द्वारा कारणों का उल्लेख करते हुए समय पूर्व सेवाएं वापस की जा सकेंगी।

2. इसके पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी/3–18/94/3/एक, दिनांक 12–12–1994 के निर्देश अनुसार 4 वर्ष से अधिक के लिये प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाए जाने संबंधी प्रकरणों को समन्वय में भेजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जिस विभाग में अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर है तथा जिस विभाग से सेवाएं ली गई हैं उन दोनों विभागों की सहमति होने पर विभाग स्तर पर ही निर्णय ले लिया जाए अब ऐसे मामले समन्वय में न भेजे जाकर इनका निराकरण उक्तानुसार सुनिश्चित किया जावे।

3. प्रतिनियुक्ति के संबंध में उक्त मार्गदर्शीय सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किया जाये।

4. प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तों के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

5. यह प्रतिनियुक्ति की नीति शासकीय विभागों के अलावा निगमों/मंडलों/प्राधिकरणों या अन्य स्वायत्त संस्थाओं के लिये भी लागू होगी।

[म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. सी/3–14/06/3/1, दिनांक 29–2–2008]

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग